न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1303–तीन/2013 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 18–10–2012 – पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्र0क0 908/2010–11 अपील

1– यदुनाथ गोसाई पुत्र गोल्हई गोसाई
2– अमरेन्द्रनाथ गोसाई 3– सुरेन्द्रनाथ
4– बृजेन्द्रनाथ 5– देवेन्द्रनाथ
सभी पुत्रगण यदुनाथ गोसाई निवासी ग्राम
खडौरा तहसील देवसर जिला सिंगरोली ---आवेदकगण

विरूद्ध

सत्यवती देवी पुत्री यदुनाथ गोसाई
ग्राम खडौरा तहसील देवसर जिला सिंगरोली ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री संतोष मिश्रा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अखण्ड तिवारी)

आ दे श
(आज दिनांक 10 – 7 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 908/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–10–2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि यदुनाथ गोसाई पुत्र गोल्हई गोसाई ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत निम्नानुसार बटवारे के तीन आवेदन तहसीलदार देवसर के समक्ष प्रस्तुत किये :–

	प्रकरण कमांक	आवेदक	अनावेदक
1-	16 अ-27/07-08	यदुनाथ गोसाई	अमरेन्द्रनाथ पुत्र यदुनाथ गोसाई
2-	17 अ-27/07-08	यदुनाथ गोसाई	वृजेन्द्रनाथ पुत्र यदुनाथ गोसाई
3-	18 अ727/07-08	यदुनाथ गोसाई	देवेन्द्रनाथ पुत्र यदुनाथ गोसाई

तहसीलदार देवसर ने तीनों प्रकरणों में सुनवाई कर प्रथक प्रथक आदेश दिनांक 9-1-2009 पारित किया तथा सहमति के आधार पर यदुनाथ गोसाई, के नाम की भूमि का बटवारा कर दिया।

तहसीलदार देवसर के उपरोक्तानुसार पारित आदेशों के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष तीन अपील प्रस्तुत कीं, जो प्रकरण कमांक 154, 155, 156/2009-10 अपील पर पॅजीबद्व की जाकर सुनवाई उपरांत संयुक्त आदेश दिनांक 22-2-2011 पारित किया गया तथा तीनों अपील खारिज कर दी।

अनुविभागीय अधिकारी देवसर के संयुक्त आदेश दिनांक 22-2-2011 के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 908/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-10-2012 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया एंव अपील स्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अवलोकन पर यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदक महिला सत्यवती देवी भी यदुनाथ गोसाई की पुत्री है तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 178 के प्रस्तुत दावे में इसे पक्षकार नहीं बनाया गया है एंव व्यक्तिगत सूचना पत्र भी जारी नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 18-10-12 में निष्कर्ष दिया हे कि अपीलार्थी व्दारा प्रस्तुत आवेदन धारा-5 म्याद अधिनियम के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय व्दारा उदार रूख नहीं अपनाया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसी स्थिति में आदेश की जानकारी न होना स्वभाविक है । अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा व्दारा लिया गया यह निर्णय उचित प्रतीत होता है ।

5/ जहां तक पैत्रिक भूमि में अनावेदक का हक होने का प्रश्न है ? इस सम्बन्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 18–10–12 में इस प्रकार विवेचना की है :–

" प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित है कि अपीलाधीन भूमियां उत्तरवादी क–1 की पैतृक भूमियॉ हैं। अपीलार्थी उत्तरवादी क–1 की पुत्री है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–8 के अनुसार वर्णित अनुसूची के अनुसार उत्तरवादी क–1 भी प्रथम वर्ग की वारिस है तथा अधिबियम की धारा 10 के अनुसार उत्तरवादी कमांक–1 की पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने की विधिक अधिकारी है, किन्तु उत्तरवादी क–1 ने अपीलार्थी की गैर जानकारी में उत्तरवादी क–2 से 5 के पक्ष में बटवारा नामान्तरण की कार्यवाही कराई गयी जो विधि विरूद्ध है। "

1. आनंद देव पुरी बनाम गुरइकवाल सिंह 1997 (1) इलाहावाद वीकली केसेज 2.29 (सु.को.) एन. ओ.सी. का न्याय दृष्टांत है कि संपत्ति न्यायगमन में पुत्र–पुत्रियों के अंशों का न्यायगमन – मृतक तीन पुत्र व चार पुत्रियां छोड़ गये। मान. सुप्रिमकोर्ट ने व्यक्त किया कि प्रत्येक का 1/7 अंश होगा।
2. वृजेन्द्र प्रताप सिंह (मृतक वारिसान) बनाम श्रीमती प्रेमलता **A I R** 2005 इलाहावाद 113 का न्याय दृष्टांत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पुत्री को उसके पिता की मृत्यु होने पर पिता की संपत्ति में अंश प्राप्त होगा। चाहे यह संपत्ति पिता के व्दारा एकागी तौर पर अथवा संयुक्त स्वत्व के अधीन धारित हो। हिन्दू अविभाजित परिवार की संपत्ति में भी पिता का जो अंश होता है उसमें पुत्री को अंश प्राप्त होता है। इसी प्रकार विधवा को भी अंश प्राप्त होता है।

उक्त के प्रकाश में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 18–10–2012 में निकाले गये निष्कर्ष उचित तें हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 908/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–10–2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर